Mruthunjai
A Ray of Hope to the needy brethren...

By Kalyan Diocesan Social Action (KDSA), Karunya Trust

What is organ donation?

Organ donation is a noble act which gives us an opportunity to save many lives after our death. The donated organs are transplanted into patients who are suffering from end stage organ failure. As many patients suffer from end stage diseases of various organs, organ donation is the only ray of hope for them.

What is organ transplantation?

Human body transplantation is the achievement of modern medical science where through surgical procedure the healthy organ from the living or dead person is implanted in than individual suffering from end stage organ failure. This is than established surgical treatment available for the needy patients.

Which organ can be donated?

The vital organs like heart, liver, two kidneys, pancreas, intestine, lungs etc. can be donated only if we die of a brain death. However cornea (eyes), skin and other tissues can be donated after cardiac death. A living person can donate limited organs like a single kidney [as we have two kidney or part of the liver] and only to his/her or close relative. The other vital organs can be retrieved from a brain dead individual.

What is brain death?

Any individual with an irreparably damaged brain stem, which is an important part of the central nervous system, is declared brain dead. Brain dead individual cannot regain the consciousness and are not able to breathe on their own as the brain stem has the centre for both. The heart can continue to function on a ventilator and other support for a max. of 36 to 72 hrs. As the blood supply to organs can be maintained for few hours, it is during this period, that the organ can be retrieved after obtaining consent from the close relatives. Brain Death can occur only in Intense care unit. [ICU]

How is brain death declared?

Brain death is declared by the Brain Death Committee which involves a team of four doctors recognised by the government and who are not involved in performing the transplant surgery. The team has to perform the brain stem death test twice at the gap of minimum 6 hrs. The death is declared in the hospitals recognized for transplantation or at organ retrieval center and is accepted worldwide. The brain death certificate is then issued to the relatives.

Is there any chance of survival of Brain dead individual?

No. A Brain death individual is declared dead and cannot be revived. There is no question of survival of the individual as the set of tests done by the experts leaves no possible doubt of the diagnosis of the brain death.

Brain death has nothing to do with mercy killing: the organ is taken only after the person is declared brain dead. There is a difference between comatose patients and brain dead individuals. The comatose patient are not dead where as brain death is the stage beyond coma and there is no chance of an individual regaining consciousness. A brain dead individual is declared dead. Organs are never taken at the cost of the donor's life.

Does the donor have to die only in the hospital?

Yes. As brain death may occur only in ICU, an organ donor necessarily dies in ICU of the hospital. No vital organs can be retrieved if the death occurs at home. However eyes and skin can be retrieved up to 6 hrs. after the heart stops beating hence this can be done even if the individual dies at home.

Is it Legal?

Yes. In India, The Human Organ Transplantation Act was passed in 1994 which covers the 3 areas.

- It recognizes brain stem death.
- It regulates removal, storage and transplantation of organs for the therapeutic purpose.
- It prevents commercial dealings in human organs. No human organ can be bought or sold.

Is the donor's body given back to the relative?

Yes. The body is given back to the relatives to perform the last rites after the retrieval of the organs. The organs are retrieved only for therapeutic purposes. This is different from body donation where the whole body is given to the anatomy department of the Medical College for research purposes.

Are the organs given only to the rich?

No. As per the priority criteria like age, blood group, waiting period, Clinical status of the recipients, the organs are given to the most needy and the suitable patients. In Maharashtra the Gov. has guidelines to give the priority score to all the waiting recipients to distribute the organs. Money, race, religion are not the criteria for distribution.

Will the donor family know to whom the organs are given?

No. The name and the address of the recipient is not given to the donor family and vice versa.

Is there any disfigurement after organ donation?

No. The organs are removed carefully by taking the donor to the operation theatre and there is no disfigurement. There is a cut on the body which is sutured just like any other surgery performed on the living person.

Does our religion support organ donation?

Yes. All the religions in India consider it as a noble act.

Is any compensation or payment made to the donor family.

No. It is pure donation and hence it becomes a noble act. Moreover the family is not charged for investigation after the consent for organ donation is given after declaring brain death.

How can one become an organ Donor?

Sign an organ donor card. Share your wish with your close relatives as their consent is required before retrieving the organ even if the donor has signed the donor card. The donor card has to be kept with the person who has signed it.

For more information, Pledge form & Donor cards kindly contact the following addresses:-

Guidance & Support

Zonal Transplant Coordination Centre

ZTCC Completing lives

L T M G Hospital, 1st Floor,
Room No 29 A, Near Skin Bank,
Dr Ambedkar Road, Sion,
Mumbai - 400 022

Telefax: 24028197 | **Mob.:** 9167663469 / 66

Visit us: www.ztccmumbai.org

E-mail: organtransplant@ztccmumbai.org

Promoted by

Karunya Trust

Kalyan Diocesan Social Action (KDSA)

Bishop's House, Plot No. B/38,
I.I.T. P.O., Powai, Mumbai - 400 076.

Tel.: +91 022 2578 5515, 2579 8625

Fax: +91 022 2577 6100

Web.: karunyatrustonline.org

E-mail: karunyatrust@hotmail.com

मृत्यंजय

आशा के किरण, जरूरत भाई-बहिनो को....!

प्र: अंगदान क्या है ?

उ: अंगदान ऐसा पवित्र दान है जिसमे हम मृत्यु के बाद कई लोगों की जिंदगी बचाकर पुण्य कमा सकते है। अंग प्रत्यारोपण उस मरीजों के लिये अंतिम उम्मीद की किरन है जिनके अंग बेकार हो जाने की उम्मीद की किरन है जिनके अंग बेकार हो जाने के कारण वे जीने की उम्मीद भी खो चुके है।

प्र: अंग प्रत्यारोपण क्या है ?

उ: इंसान का अंग प्रत्यारोपण करना आधुनिक विज्ञान की ऐसी महान उपलब्धि है कि जिसमे जीवित या मृत व्यक्ति का स्वस्थ अंग मरीज में ऑपरेशन द्वारा बिठाया जाता है। प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया उन मरीजों के लिए जीवनदान है, जिनका कई अंग पूरी तरह से निष्क्रिय या नाकाम हो चुका है। यह जरूरतमंद मरीजों के लिये प्रमाणित और उपलब्ध शल्यक सजिकल उपचार है।

प्र: किन अंगों का दान किया जा सकता है ?

उ: अगर दिमागी चोट के कारण मस्तिष्क स्तंभ मौत हो जाये तो महत्त्वपूर्ण अंग जैसे हृदय यकृत, दो किडनी, पॅंक्रियास अंतडिया फेफडे आदि का दान किया जा सकता है। हृदय बंद होने के पश्चात प्रमुख अंगो का दान नही हो सकता क्योंकि खून न मिलने वह प्रत्यारोपण के लिये योग्य नही रहते है, लेकिन इस स्थिति में त्वचा आंखे कॉर्निया तथा अन्य ऊतक टिश्यु आदि का दान हो सकता है। जीवित व्यक्ति भी कुछ अंगों को दान अपने निकट सम्बन्धी को कर सकते हैं। जैसे किडनी कलेज, लिवर, आदि अन्य अंगो का दान केवल मस्तिष्क स्तंभ या ब्रनडेड ही कर सकते हैं।

प्र: दिमागी मौत क्या है ब्रेनडेड या मस्तिष्क स्तंभ मृत्यु क्या है ?.

उ: हमारे दिमाग का महत्त्वपुर्ण भाग 'मस्तिष्क स्तंभ' जो कि सांस चेतना आदि महत्त्वपूर्ण कार्य से जूडा है यह अगर पुरी तरह निष्क्रिय हो जाये यानि दिमाग का वह भाग लाइलाज हो जाये तो उसे दिमागी मौत ब्रेनडेड कहते है। दिमाग हमारे सम्पूर्ण शरीर के स्नायुतंत्र का केंन्द्र है।

दिमागी तौरपर मरे हुए इंसान को वापस न तो कभी होश आता है न की उसकी सांस फिर चलती है। केवल हृदय व अन्य अंग ही ३६ से ७२ घंटे तक ही अन्य किसी कृत्रिम आधार के द्वारा या वायुसंचार वेंटिलेटर द्वारा काम कर सकता है। ३६ से ७२ घंटो के दौरान जब तक रक्तसंचार अंगो में जारी है इसी बीच मरीज के निकट सम्बंधी को सहमती से अंग का दान किया जा सकता है। दिमागी मौत केवल अतिदक्षता विभाग ICU मे ही हो सकता है।

प्र: दिमागी मौत की घोषणा कब कर सकते है ?

उ: दिमागी मौत सम्बन्धी कमेटी ब्रेन डेड कमेटी जिसमें सरकारी मान्यताप्राप्त चार डॉक्टर सदस्य होते है। यह डॉक्टर की प्रतिरोपण चिकित्सा से किसी तरह भी जुडे हुए नहीं होते है। इन चार डॉक्टर की टीम ६ घंटे के अंतर पर दो बार दिमागी मौत के मरीज़ की जांच करती है और तब मौत की घोषणा करती है। यह घोषणा प्रत्यारोपण के लिए मान्यताप्राप्त अस्तपाल में ही की जाती है। दिमागी मौत विश्व स्तर पर स्वीकारी जाती है और उसका प्रमाण पत्र उसके निकट सम्बन्धी को दिया जाता है।

प्र: क्या दिमागी मौत के व्यक्ति के बचने की उम्मीद हो सकती है ?

उ: नही। दिमागी मौत का घोषित मरीज दोबारा जीवित नही हो सकता है। मान्यप्राप्त डॉक्टरी टीम द्वारा दो बार की गई जांच के बाद ही दिमागी मौत घोषित की जाती है। उसके बचने की कोई संभावना नही रहती।

दिमागी मौत का इच्छा मृत्यु या कोमा से कोई सम्बंध नही है, उसके अंग दिमागी मौत के बाद ही प्रत्यारोपण के लिये निकालते है। कोमा में गया हुआ मरीज जिंदा होता है जबकि दिमागी मौत हुई है ऐसा इंसान मृत होता है। कोमा के गए जीवित इंसान के अंग प्रत्यारोपण के लिये नही निकाले जाते।

प्र: क्या अंगदाता की मौत अस्पताल में ही होनी चाहिये ?

उ: हाँ। दिमागी मौत केवल आय सी यु में ही हो सकती है। इसलिए प्रमुख अंगो का दान करने के लिऐ मृत्यु आय.सी.यु. में ही होना जरूरी है। अगर अंगदाता की मौत घर पर हुई है तो उसके प्रमुख अंग नही निकाले जा सकते केवल ऑखे और त्वचा ही धडकन बंद होने के ६ घंटे के अंदर प्रत्यारोपण के लिए निकाली जा सकती है।

प्र: क्या यह कानूनी है ?

उ: हाँ। भारत में १९९४ में अंगदान प्रत्यारोपण अंक्ट कानूनी तौर पर मान्यता पा चुका है। जो कि मुख्य रूप से तीन क्षेत्र पर लागू होता है।

१. यह मस्तिष्क स्तंभ मृत्यु का मान्यता देता है।

२. चिकित्सकीय उद्देश्य को ध्यान में रखकर यह अँक्ट अंग निकालना सुरक्षित रखना प्रत्यारोपण करना आदि नियंत्रित करता है।

३. यह अंगों के व्यवसायीकरण को रोकता है। यह अँक्ट इंसानी अंगों को खरीदने बेचने से रोकता है।

प्र: क्या अंगदाता का शरीर उसके निकट संम्बध को दिया जाता है ?

उ: हाँ। अंगदाता का शरीर प्रत्योरपण के लिये अंग निकालने के बाद निकट सम्बंधी को क्रियाकर्म करने के लिये दे दिया जाता है। अंगो का उपयोग मात्र चिकित्सीय उद्देश्य के लिये ही किया जाता है। अंगदान शरीरदान से भिन्न प्रक्रिया है। शरीरदान में मृत व्यक्ति का पूर्ण शरीर मेडिकल कॉलेज में अनुसंधान विभाग में वैदयकिय प्रशिक्षण या संशोधन के लिऐ किया जाता है।

प्र: क्या वह अंगदान धजवानों को ही दिये जाते है, दान किये गए अंग का वितरण कैसे होता है ?

उ: नही। यह अंगदान प्राथमिकता के आधार पर उम्र रक्त गट प्रतीक्षा अवधी अंगप्राप्त करनेवाले की शारिरिक स्थिती को ध्यान मे रखते हुए जरुरतमंद और योग्य मरीज को ही दिया जाता है। जरूरत मंद मरीजों की अंग और रक्त गट नुसार सामाईक यादि बनाइ जाती है। महाराष्ट्र सरकाने बनाई हुइ मार्गर्शिकानुसार ही उपलब्ध अंग का विवरण होता है। मरीज की आर्थिकता धर्म जात आदि का अंगदान के वितरण से कोई सम्बध नही है।

प्र: क्या अंगदान का परिवार अंग प्रत्यारोपित व्यक्ति की जानकारी प्राप्त कर सकता है ?

उ: नही। अंग प्रत्यारोपित व्यक्ति का नाम पता अंगदाता के परिवार को नहीं दिया जाता न ही अंगदाता का नाम पता अंग प्रत्यारोपित व्यक्ति या उसके परिवार को दिया जाता है।

प्र: क्या अंगदान के बाद अंगदाता का शरीर विरूपित हो जाता है ?

उ: नहीं। अंगदाता का अंग केवल ऑपरेशन थियटर में ही कुशल शल्य चिकित्सक द्वारा कुशलता से निकाला जाता है। इसलिये उसके शरीर पर अन्य शल्य क्रिया जैसा ही निशान होता है। उसका शरीर विरूपित नही होता।

प्र: क्या हामरा धर्म अंगदान की सहमति देता है ?

उ: हाँ। भारत में सभी धर्म अंगदान को श्रेष्ट मानते है

प्र: क्या अंगदाता के परिवार को कोई मुआवजा या भुगतान दिया जाता है ?

उ: नहीं। यह शब्द रूप से केवल दान है और पुण्य कर्म है। इसलिए कोई मुआवजा नही दिया जाता परंतु अंगदाता के परिवार की सहमती के बाद उनसे चिकित्सक जांच के लिये कुछ भी खर्चा नही लिया जाता है।

प्र: अंगदान कैसे किया जाता है ?

उ: डोनर कार्डपर स्वहस्ताक्षर करके हम अंगदान कर सकते है। इस कार्डपर निकट सम्बधी का हस्ताक्षर होना भी जरूरी है।

अपने परिवार तथा परिजनों को सुचित करना जरूरी है ताकि मृत्यु के बाद जब अंगदाता के अंग निकाले जाये तो उनका परिवार या सम्बंधों रूकावट न डाले। यह डोनर कार्ड हमेशा अंगदाता के पास ही रहना चाहिये। अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित पतेपर संपर्क किजिए।

Guidance & Support

झोनल ट्रान्सप्लांनट को ऑर्डिनेशन सेंटर

ZTCC Completing lives

एल.टि.एम.जी. हॉस्पिटल, पहली मजिल,
रू. नं. २९ ए, स्किन बँक के पास,
डॉ. अंबेडकर रोड, सायन,
मुंबई – ४०० ०२२.

टेली: 24028197 | मो.: 9167663469 / 66

Website: www.ztccmumbai.org

E-mail: organtransplant@ztccmumbai.org

Promoted by

कारूण्या ट्रस्ट

कल्याण डयसेस सोझ्यल एक्शन (KDSA)

बिशप हाउस, प्लोट नं. बी/३८, आइ.आइ.टी. पी.ओ.,
पवाई, मुंबई – ४०० ०७६.

टेली.: +91 022 2578 5515, 2579 8625

फाक्स: +91 022 2577 6100

Web.: karunyatrustonline.org

E-mail: karunyatrust@hotmail.com